जयसिंह अग्रवाल
पूर्व मंत्री
छ.ग. शासन

''स्वर्ण सिटी''
वार्ड क्रमांक 01, दर्री रोड, कोरबा
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495677
फोन नं. 94252-24712

पत्र क्र. KRB/Res./2026-27/0105 दिनांक : 21/07/2026

प्रति, श्री दुहन जी,

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL)

बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

विषय : मानिकपुर ओपनकास्ट विस्तार परियोजना की प्रस्तावित पर्यावरणीय जनसुनवाई से पूर्व प्रभावित ग्रामों के लंबित मुद्दों, अधूरे वादों, पुनर्वास, मुआवजा एवं विस्थापन संबंधी समस्याओं का निराकरण सुनिश्चित किए जाने बाबत।

समाचार माध्यमों से ज्ञात हुआ है कि एसईसीएल की **मानिकपुर ओपनकास्ट विस्तार परियोजना** की उत्पादन क्षमता **5.25 एमटीपीए से बढ़ाकर 7.0 एमटीपीए** करने एवं परियोजना क्षेत्र का विस्तार किए जाने हेतु आगामी **21 अगस्त 2026** को पर्यावरणीय जनसुनवाई आयोजित की जा रही है।

यह परियोजना **भिलाई खुर्द, दादरखुर्द, रम्पाखार्रा, मानिकपुर, इमलीडुग्गू, उरगा, कुदरी बस्ती, कुरूडीह, बेन्दरकोना, गोढ़ी, पंडरीपानी एवं सेमीपाली** सहित अनेक ग्रामों के हजारों किसानों, भूमिधारकों, विस्थापित परिवारों, स्थानीय युवाओं एवं आम नागरिकों के जीवन, आजीविका, सामाजिक संरचना एवं पर्यावरण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाली है।

पर्यावरणीय जनसुनवाई केवल पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि प्रभावित जनता के संवैधानिक अधिकारों, विश्वास एवं सहभागिता का लोकतांत्रिक माध्यम है। दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि प्रभावित क्षेत्रों में एसईसीएल का पूर्व का रिकॉर्ड विश्वास पैदा करने वाला नहीं रहा है।

विगत वर्षों में आयोजित विभिन्न जनसुनवाइयों, ग्राम सभाओं एवं बैठकों में एसईसीएल द्वारा प्रभावित ग्रामीणों से अनेक महत्वपूर्ण वादे एवं आश्वासन दिए गए थे, जिनमें प्रमुख रूप से–

- प्रभावित एवं विस्थापित परिवारों को रोजगार,
- लंबित मुआवजा प्रकरणों का निराकरण,
- पुनर्वास की समुचित व्यवस्था,

Scanned with OKEN Scanner

जयसिंह अग्रवाल
पूर्व मंत्री
छ.ग. शासन

''स्वर्ण सिटी''
वार्ड क्रमांक 01, दर्री रोड, कोरबा
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495677
फोन नं. 94252-24712

पत्र क्र. ..... दिनांक : .....

- स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता,
- पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएँ,
- धूल एवं पर्यावरण प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण,
- ब्लास्टिंग से प्रभावित मकानों का सर्वे एवं क्षतिपूर्ति,
- हरित पट्टी का विकास,
- स्थानीय ठेकेदारों एवं परिवहनकर्ताओं को प्राथमिकता,
- ग्रामों के विकास संबंधी विभिन्न घोषणाएँ शामिल थीं।

अत्यंत खेद का विषय है कि इन आश्वासनों का बड़ा हिस्सा आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। यही कारण है कि प्रभावित ग्रामों में एसईसीएल के प्रति व्यापक असंतोष एवं गहरा अविश्वास व्याप्त है।

भिलाई खुर्द ग्राम में सर्वेक्षण में गंभीर भेदभाव

मुझे ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले **भिलाई खुर्द ग्राम** में लगभग **200 मकान** प्रभावित हो रहे हैं, किंतु एसईसीएल द्वारा केवल लगभग **150 मकानों का सर्वेक्षण** किया गया तथा शेष लगभग **50 मकानों को यह कहकर सर्वे से बाहर कर दिया गया कि उनका निर्माण मार्च 2025 के बाद हुआ है।**

आश्चर्यजनक एवं गंभीर तथ्य यह है कि जिन लगभग 150 मकानों का सर्वे किया गया है, उनमें भी बहुत से **ऐसे हैं जिनका निर्माण भी उसी अवधि में हुआ**, फिर भी उन्हें सर्वे एवं मुआवजा प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया गया।

ऐसी स्थिति में समान परिस्थितियों वाले लगभग 50 परिवारों को सर्वेक्षण एवं मुआवजा प्रक्रिया से बाहर रखना **पूर्णतः भेदभावपूर्ण, मनमाना एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध** प्रतीत होता है।

अतः भिलाई खुर्द के सभी छूटे हुए मकानों का निष्पक्ष पुनः सर्वेक्षण कर उन्हें भी समान रूप से मुआवजा एवं पुनर्वास प्रक्रिया में शामिल किया जाना न्यायोचित होगा।

पुनर्वास नीति पर गंभीर प्रश्न

ग्रामीणों को बताया जा रहा है कि प्रत्येक मकान स्वामी को **₹6.91 लाख** की राशि देकर **6 डिसमिल भूमि खरीदने एवं नया मकान बनाने** की अपेक्षा की जा रही है।

Scanned with OKEN Scanner

जयसिंह अग्रवाल
पूर्व मंत्री
छ.ग. शासन

''स्वर्ण सिटी''
वार्ड क्रमांक 01, दर्री रोड, कोरबा
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495677
फोन नं. 94252-24712

पत्र क्र. ..... दिनांक : .....

वर्तमान बाजार मूल्य एवं निर्माण लागत को देखते हुए यह राशि पूर्णतः अपर्याप्त एवं अव्यावहारिक है। इतनी राशि में न तो उपयुक्त भूमि उपलब्ध हो सकती है और न ही सम्मानजनक आवास का निर्माण संभव है।

इससे भी अधिक चिंताजनक विषय यह है कि एसईसीएल स्वयं पुनर्वास हेतु भूमि उपलब्ध कराने के बजाय प्रभावित परिवारों से कह रही है कि **"आप स्वयं भूमि खोजिए, जहाँ भूमि मिलेगी वहीं जाकर बस जाइए।"**

यह किसी भी सार्वजनिक उपक्रम की पुनर्वास नीति के अनुरूप नहीं है। विस्थापित परिवारों को व्यवस्थित पुनर्वास हेतु भूमि उपलब्ध कराना, उसका विकास करना तथा सड़क, बिजली, पेयजल, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं सहित पुनर्वास कॉलोनी विकसित करना एसईसीएल की वैधानिक एवं नैतिक जिम्मेदारी है।

कचांदी नाला का संरक्षण

भिलाई खुर्द क्रमांक 1, 2 एवं 3 के ग्रामीणों के लिए **कचांदी नाला जीवनरेखा** के समान है। ग्रामीणों की सिंचाई, जलस्रोत एवं दैनिक जीवन इसी पर निर्भर है।

खनन विस्तार के लिए यदि इस नाले का डायवर्सन किया जाता है तो हजारों ग्रामीणों की कृषि, भूजल एवं पर्यावरण पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ेगा।

अतः बिना वैज्ञानिक अध्ययन, वैकल्पिक व्यवस्था एवं ग्रामीणों की सहमति के कचांडी नाले में किसी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा।

कोयला परिवहन हेतु वैकल्पिक मार्ग

ग्रामीणों द्वारा अत्यंत व्यवहारिक सुझाव दिया गया है कि भविष्य में परियोजना से कोयले का परिवहन आबादी के बीच से न कराया जाए।

इसके स्थान पर **मानिकपुर से बरबसपुर बायपास तक रेलवे लाइन के समानांतर लगभग 5 किलोमीटर लंबी वैकल्पिक सड़क** का निर्माण कराया जाए, जिससे कोयला सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग तक पहुँच सके।

इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, धूल प्रदूषण नियंत्रित होगा, आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी तथा एसईसीएल को भी दीर्घकालीन बेहतर परिवहन सुविधा प्राप्त होगी।

वर्ष 1964 से 1968 के बीच भूमि अधिग्रहण का दशकों पुराना लंबित मुआवजा

Scanned with OKEN Scanner

जयसिंह अग्रवाल
पूर्व मंत्री
छ.ग. शासन

''स्वर्ण सिटी''
वार्ड क्रमांक 01, दर्री रोड, कोरबा
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495677
फोन नं. 94252-24712

पत्र क्र. .....

दिनांक : .....

एक अत्यंत गंभीर एवं मानवीय विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

वर्ष 1964 से 1968 की अवधि में तत्कालीन **नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन** (NCDC) द्वारा इस क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण किया गया था। उस समय निर्धारित मुआवजा राशि को **किश्तों में भुगतान** किए जाने का प्रावधान था। जानकारी के अनुसार प्रथम किश्त का भुगतान अधिकांश प्रभावित परिवारों को कर दिया गया, किन्तु बड़ी संख्या में परिवार आज भी शेष भुगतान से वंचित हैं।

बाद में NCDC का पुनर्गठन होकर WCL तथा तत्पश्चात SECL का गठन हुआ। लगभग छह दशक बीत जाने के बाद अधिकांश मूल भू-स्वामियों का निधन हो चुका है तथा उनके वैधानिक उत्तराधिकारी आज भी अपने पूर्वजों के लंबित मुआवजे के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने को विवश हैं।

अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि एसईसीएल के अधिकारी केवल यह कहकर अपनी जिम्मेदारी समाप्त मान लेते हैं कि **मुआवजा राशि ट्रिब्यूनल न्यायालय में जमा कर दी गई है।**

किन्तु न तो संबंधित ट्रिब्यूनल का नाम बताया जाता है, न प्रकरण क्रमांक, न जमा राशि का विवरण, न दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया और न ही उत्तराधिकारियों को कोई आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है।

यह स्थिति अत्यंत पीड़ादायक एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। लगभग **60 वर्ष पूर्व अधिग्रहित भूमि का वैधानिक मुआवजा आज तक यदि उत्तराधिकारियों को प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो यह प्रभावित परिवारों के साथ बहुत अन्याय है।**

एसईसीएल, एक उत्तराधिकारी सार्वजनिक उपक्रम होने के नाते, इस जिम्मेदारी से स्वयं को अलग नहीं कर सकता।

जनसुनवाई से पूर्व आवश्यक कार्यवाही

अतः जनहित एवं औद्योगिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से आपसे अपेक्षा है कि जनसुनवाई से पूर्व निम्नलिखित कार्य सुनिश्चित कराए जाएँ–

1. पूर्व की सभी जनसुनवाइयों एवं ग्राम सभाओं में किए गए आश्वासनों की अनुपालन रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।
2. सभी प्रभावित ग्रामों के लंबित मुआवजा, पुनर्वास एवं रोजगार प्रकरणों का निराकरण किया जाए।

Scanned with OKEN Scanner

जयसिंह अग्रवाल
पूर्व मंत्री
छ.ग. शासन

''स्वर्ण सिटी''
वार्ड क्रमांक 01, दर्री रोड, कोरबा
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495677
फोन नं. 94252-24712

पत्र क्र. ..... दिनांक : .....

3. भिलाई खुर्द के सर्वे से वंचित सभी मकानों का पुनः निष्पक्ष सर्वे कर उन्हें मुआवजा एवं पुनर्वास में शामिल किया जाए।
4. ₹6.91 लाख की प्रस्तावित मुआवजा राशि का वर्तमान बाजार दरों के अनुरूप पुनर्मूल्यांकन किया जाए।
5. पुनर्वास हेतु एसईसीएल स्वयं विकसित भूमि उपलब्ध कराए तथा सभी मूलभूत सुविधाओं सहित पुनर्वास कॉलोनी विकसित करे।
6. कचांडी नाला के संरक्षण एवं उसके वैज्ञानिक समाधान की विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक की जाए।
7. मानिकपुर बरबसपुर रेलवे लाइन समानांतर-वैकल्पिक कोयला परिवहन मार्ग को परियोजना का अभिन्न भाग बनाया जाए।
8. वर्ष 1964 एवं 1968 के भूमि अधिग्रहण के सभी लंबित मुआवजा प्रकरणों की ग्रामवार समीक्षा कर ट्रिब्यूनल में जमा राशि का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाए तथा सभी वैधानिक उत्तराधिकारियों को उनका वैध मुआवजा दिलाने हेतु एसईसीएल विशेष सहायता प्रकोष्ठ गठित कर समयबद्ध अभियान चलाए।
9. जिला प्रशासन, एसईसीएल एवं प्रभावित ग्रामीणों की संयुक्त बैठक तत्काल आयोजित कर सभी विवादित विषयों का समाधान किया जाए।
10. जनसुनवाई को केवल औपचारिक प्रक्रिया न बनाकर वास्तविक जनसहमति एवं विश्वास की प्रक्रिया के रूप में संचालित किया जाए।

अंत में मैं पुनः स्पष्ट करना चाहता हूँ कि विकास का विरोध किसी को नहीं है, किन्तु विकास के नाम पर स्थानीय लोगों के वैधानिक अधिकारों, सम्मान, आजीविका एवं भविष्य की उपेक्षा किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती। किसी भी परियोजना की सफलता प्रभावित जनता के विश्वास, पारदर्शिता तथा न्यायपूर्ण पुनर्वास पर निर्भर करती है, न कि केवल औपचारिक जनसुनवाई आयोजित कर लेने पर।

अतः आपसे आग्रह है कि इस पत्र में उल्लिखित सभी प्रमुख एवं वर्षों से लंबित विषयों–विशेषकर अधूरे आश्वासनों का पालन, लंबित मुआवजा प्रकरणों का निराकरण, भिलाई खुर्द के सर्वे से वंचित परिवारों को शामिल करना, पुनर्वास हेतु भूमि एवं पर्याप्त मुआवजा उपलब्ध कराना, वर्ष 1964 एवं 1968 के लंबित मुआवजा प्रकरणों का समाधान, कचांडी नाला एवं वैकल्पिक परिवहन मार्ग जैसे जनहित के मुद्दों–पर जनसुनवाई की तिथि से पूर्व ठोस एवं संतोषजनक निर्णय लिया जाए।

Scanned with OKEN Scanner

जयसिंह अग्रवाल
पूर्व मंत्री
छ.ग. शासन

''स्वर्ण सिटी''
वार्ड क्रमांक 01, दर्री रोड, कोरबा
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495677
फोन नं. 94252-24712

पत्र क्र. ..... दिनांक : .....

यदि उपर्युक्त विषयों का समुचित निराकरण जनसुनवाई की निर्धारित तिथि 21 अगस्त 2026 से पूर्व नहीं किया जाता है, तो केवल औपचारिकता के रूप में जनसुनवाई आयोजित करना प्राकृतिक न्याय, पर्यावरणीय जनसुनवाई की भावना एवं प्रभावित जनता के अधिकारों के अनुरूप नहीं होगा। ऐसी स्थिति में मेरा आग्रह है कि प्रस्तावित जनसुनवाई को तत्काल स्थगित (Postpone) किया जाए तथा सभी लंबित मुद्दों का समाधान करने के उपरांत ही नई तिथि घोषित कर जनसुनवाई आयोजित की जाए, ताकि प्रभावित ग्रामीण वास्तविक तथ्यों एवं संतोषजनक परिस्थितियों में अपनी बात रख सकें।

अन्यथा, बिना समस्याओं के समाधान के आयोजित की गई जनसुनवाई के दौरान यदि प्रभावित ग्रामीणों द्वारा लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराया जाता है अथवा किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी एसईसीएल प्रबंधन की होगी।

आशा है कि एसईसीएल प्रबंधन इस विषय की गंभीरता को समझते हुए जनहित, औद्योगिक सौहार्द एवं विधिसम्मत प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यक निर्णय करेगा।

(जयसिंह अग्रवाल)

प्रतिलिपि :

1. सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड, कोलकाता।
3. प्रमुख सचिव, खनिज साधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन।
4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर।
5. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कोरबा।
6. पुलिस अधीक्षक, कोरबा।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।
8. मुख्य महाप्रबंधक, कोरबा क्षेत्र, एसईसीएल।

Scanned with OKEN Scanner